राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

क्रमांकः एफ3/मु./याता./निरी./15/486 दिनांक : 16.10.15

कार्यालय आदेश

विभिन्न आगारों द्वारा अपने आगार क्षेत्र में वाहनों के निरीक्षण हेतु नियमित चैक पोस्टें स्थापित की हुई हैं, जिन पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा वाहनों का निरीक्षण केवल मात्र औपचारिकता के रूप में ही किया जा रहा है जिसका बिना टिकिट यात्रा पर कोई प्रभावी नियन्त्रण नहीं है।

अतः समस्त मुख्य प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि यात्रीभार उपलब्धता के अनुसार भविष्य में विशेष अवसरों यथा होली, दीपावली, रक्षा–बन्धन, मेले, इत्यादि के अतिरिक्त किसी भी मार्ग पर वाहन निरीक्षण कार्य हेतु स्थाई चैक पोस्टें स्थापित नहीं की जावें एवं वर्तमान में स्थापित चैक पोस्टों पर कार्यरत कर्मचारियों से उनके मूल पद के अनुरूप कार्य लिया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों की अवलेहना किये जाने पर संबन्धित मुख्य प्रबन्धक के विरूद्व उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

16/10/15

(राकेश राजोरिया)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांकः एफ3/मु./याता./निरी./15/486 दिनांक : 16.10.15

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष .... राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक(यातायात/सचालन) राजस्थान परिवहन निगम .... आगार।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

16/10/15

(नरेन्द्र सिंह चौधरी)
कार्यकारी प्रबन्धक (चैकिंग)